

**बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण**  
**BULANDSHAHR KHURJA DEVELOPMENT AUTHORITY**

कालिंदी टावर कालिंदी कुंज खुर्जा में स्थित सम्पत्तियों की आवंटन हेतु प्रारूप

**FORM FOR ALLOTMENT OF PROPERTY IN KALINDI TOWER KALINDI KUNJ KHURJA**

आवेदन पत्र संख्या:.....

Application Form No.

1. आवेदक का नाम:.....

Name of the Applicant (in block letters)

2. पिता/पति का नाम:.....

Father/Husband's Name:

3. बोली स्वयं या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।

ए. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एथोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।

(a) If bid is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company, society, firm or trust and authorization letter should be produced

बी. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।

(b) If the bid for company, society, firm or trust its registration letter should also be produced.

4. उम्र : ..... 5. आधार संख्या:.....(आधार की छांयाप्रति संलग्न करें)

Age

6. पूरा पता :

Full Address

ए. स्थायी पता: .....

Permanent Address

बी. पत्र-व्यवहार का पता : .....

Correspondence Address

सी. टेलीफोन नं. .... मोबाईल नं. : ..... ई-मेल : .....

Telephone No.

Mobile No.

E-Mail

6. ए. व्यवसाय: .....

Occupation:

बी. भुगतान प्लान का विकल्प (ए अथवा बी) .....

Payment plan adopted (A or B)

सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण:

Particulars of Property :

1. सम्पत्ति संख्या: .....

Property Number

2. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : .....

Area of Property (sq.mts.)

3. योजना एवं ब्लॉक/सेक्टर : .....

डी. नीलामी का विवरण :

1. निविदा की तिथि: .....

Date of Auction

2. संलग्न धरोहर राशि का विवरण रू0 ..... डी0डी0नं0..... बैंक का नाम.....

Details of earnest money deposited Rs.

D.D.No.

Bank Name

3. सम्पत्ति की निविदा दर (रू0 अंको में): .....

Tender rate (Rupees in figures)

4. सम्पत्ति की निविदा दर (रू0 शब्दों में): .....

Tender rate (Rupees in figures)

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस निविदा में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त निविदा हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित कराऊँगा/कराऊँगी।

I the undersigned being one of the applicants in the tender, as mentioned above and hereby apply on my behalf/on behalf of the applicant above named to the Bulandshahr Khurja Development Authority, Bulandshahr for allotment of the property described above, under the Bulandshahr Development Authority rules. I have read and understood all the conditions mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be excuted with the sale deed in the prescribed form in accordance with the sad conditions at my own cost within such period as be decided by Authority.

दिनांक .....

Date

प्रतिहस्ताक्षरित .....

Countersigned by

आवेदक के हस्ताक्षर .....

Signature of the bidder

(नीलामी अधिकारी)

(Officer conducting auction)

(नोट- धारा-1 (V) के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा)

पदनाम .....

On his/her behalf/on behalf of the applicant

**किश्तों में आवंटन पत्र का प्रारूप**  
**कार्यालय बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर**

पत्रांक  
सेवा में,

/वि0प्रा0/2023-24

दिनांक

.....  
.....  
.....

**विषय :- कालिंदी टावर कालिंदी कुंज खुर्जा स्थित Residential Unit सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कालिंदी टावर कालिंदी कुंज खुर्जा में स्थित दुकान सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० का आवंटन दिनांक ..... को निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।

उक्त दुकान की अनुमानित कीमत रू० ..... (10 प्रतिशत कार्नर एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज सहित) है। आपके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि/टोकन मनी रू० ..... के समायोजन उपरान्त 25 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू० ..... दिनांक ..... तक प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू० ..... की आठ त्रैमासिक किश्तें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निम्न तालिका के अनुसार जमा करना सुनिश्चित करें :-

क्र०सं०	विवरण	मूलधन	ब्याज 12%	कुल देय धनराशि	देय दिनांक
1	प्रथम किस्त				
2	द्वितीय किस्त				
3	तृतीय किस्त				
4	चतुर्थ किस्त				
5	पंचम किस्त				
6	षष्ठम किस्त				
7	सप्तम किस्त				
8	अष्टम किस्त				

**अन्य शर्तें :-**

- यदि बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को देय किश्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत दर पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वित्तीय समय पर (डिफाल्टर पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटी से वसूल की जायेगी। देय किश्त का भुगतान तीन महीने की अवधि में न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि देय तिथि को अवकाश रहता है, तो अगली तिथि देय तिथि माना जायेगा।
- आवंटी को दुकान को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी दुकान के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि सम्पत्ति का मूल्य रू० 50.00 लाख से अधिक है, तो मूल्य पर देय टी०डी०एस० प्राधिकरण के पै नम्बर पर जमा कराना होगा।
- बिजली एवं पानी इत्यादी के कनेक्शन आवंटी को अपने खर्च पर लेने होंगे।
- उक्त आवंटन पत्र के आधार पर बैंक द्वारा आवंटी को ऋण दिये जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त आवंटन पत्र को ही अनापित्त प्रमाण पत्र माना जाये। बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी आवंटी द्वारा स्वयं की जायेगी, जिसके लिए प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- Residential Unit का कब्जा साईट प्लान उपलब्ध होने के उपरान्त समस्त देयता जमा होने व पट्टा-विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।
- आवंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव  
बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण  
बुलन्दशहर

**एक मुश्त आवंटन पत्र का प्रारूप**  
**कार्यालय बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर**

पत्रांक  
सेवा में,

/ वि०प्रा० / 2023-24

दिनांक

**विषय :-** शॉपिंग काम्प्लेक्स गंगानगर में स्थित Residential Unit सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कालिंदी टावर कालिंदी कुंज खुर्जा स्थित Residential Unit सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० का आवंटन दिनांक ..... को निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।

उक्त दुकान की अनुमानित कीमत रू० ..... (10 प्रतिशत कार्नर एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज सहित) है। आपके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि / टोकन मनी रू० ..... के समायोजन उपरान्त 25 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू० ... दिनांक ..... तक प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें।

आपके द्वारा दिये गये एक मुश्त भुगतान के आधार पर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू० ..... आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।

**अन्य शर्तें :-**

1. यदि बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को देय किश्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत दर पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वितथी समय पर (डिफाल्टर पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटी से वसूल की जायेगी। देय किश्त का भुगतान तीन महीने की अवधि में न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि देय तिथि को अवकाश रहता है, तो अगली तिथि देय तिथि माना जायेगा।
3. आवंटी को दुकान को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी दुकान के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
4. यदि सम्पत्ति का मूल्य रू० 50.00 लाख से अधिक है, तो मूल्य पर देय टी०डी०एस० प्राधिकरण के पै नम्बर पर जमा कराना होगा।
5. बिजली एवं पानी इत्यादी के कनेक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होंगे।
6. उक्त आवंटन पत्र के आधार पर बैंक द्वारा आवंटी को ऋण दिये जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त आवंटन पत्र को ही अनापित्त प्रमाण पत्र माना जाये। बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी आवंटी द्वारा स्वयं की जायेगी, जिसके लिए प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
7. दुकान के भूमि मूल्य पर 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज जोड़ते हुए दुकान का कुल मूल्य निर्धारित किया गया है।
8. दुकान का कब्जा साईट प्लान उपलब्ध होने के उपरान्त समस्त देयता जमा होने व पट्टा-विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।
9. आवंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
10. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव  
बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण  
बुलन्दशहर